न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–03/2015–16

कंशी लाल राय बनाम लव कुमार यादव

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17/3/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद आवेदक श्री कंशी लाल राय, पिता स्व0 लक्ष्मण प्रसाद, ग्राम–रूपसपुर, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 31/2014–15 एवं 32/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद के विपक्षी श्री लव कुमार यादव, पिता स्व0 मुंशी लाल सिंह, ग्राम–रूपसपुर, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना है। आज दिनांक 17.03.2018 को उभय पक्ष की तरफ से एक समझौता पत्र दाखिल किया गया, जिसके अनुसार विवादित भूखण्ड को लेकर उभय पक्ष के बीच समझौता हो चुका है। अब उनके बीच कोई विवाद नहीं है तथा उभय पक्ष समझौता पत्र के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर दाखिल काबिज होकर अपने व्यवहार में लायेगें। समझौता पत्र पर आवेदक श्री कंशी लाल राय एवं विपक्षी लव कुमार यादव के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान के साथ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का भी हस्ताक्षर है। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनके बीच विवादित भूखण्ड को लेकर समझौता हो चुका है तथा वे अब आगे केस को नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रश्नगत भूखण्ड रैयती है, जिसमें सरकार का कोई हित सन्निहित नहीं है। अतः आज दाखिल समझौता पत्र के आलोक में तथा उभय पक्ष के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर किये गये अनुरोध पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 17/3/18 17/3/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना अपर समाहर्त्ता,पटना	